



जिला

गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

साधारण अंक
संख्या - 10 / 2009

विक्रम संवत् 2066

13(शु0) भाद्रपद 1931 (शा0)
जमशेदपुर, बुधवार : 02 / 09 / 2009

सहायक खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये खनन एवं भूतत्व विभाग की आमसूचना।

विषय सूची

1. जिला खनन विभाग से संबन्धित आमसूचना।

पृष्ठ संख्या

01 - 01

झारखण्ड सरकार
खनन एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

आमसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जिस पर खनन पट्टा धारण किया जाता था, जिसकी अवधि समाप्त/परिसमाप्त हो जाने के कारण क्षेत्र का सत्वाधिकार सरकारी कब्जे में वापस ले लिया गया है, अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के अन्तर्गत यह क्षेत्र पुनर्बन्दोबस्ती हेतु रिक्त है।

अतः उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था जिला गजट में सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के पश्चात झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 9 के प्रावधानों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सभी वांछित कागजातों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य अवधि के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण

क्र०	पूर्व पट्टेधारी का नाम एवं पता	अंचल	मौजा	थाना	प्लॉट न०	रकबा (एकड़ में)	खनिज
	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सीताराम टूडु आत्मज श्री सामू टूडू ग्राम मानपुर (पोटका) जिला पूर्वी सिंहभूम।	पोटका	धिरौल	पोटका	2488 (P)	3.40	पत्थर
2	श्री अशोक कुमार बाला, पिता श्री प्रसन्न कुमार बाला ग्राम + पो0 + थाना बहरागोड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम।	बहरागोड़ा	चरकमारा	बहरागोड़ा	1416	2.56	पत्थर

ह० / -

सहायक खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।